## प्रेस नोट, जालौन पुलिस
## दिनांक – 25.10.2024

**श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना जालौन पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी है।**

अवगत कराना है कि दिनांक 30.08.2024 को कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत रामाधार निवासी ग्राम विनौरा वैध थाना चुर्खी तह0 जालौन ब्लाक महेबा जनपद जालौन के खेत में अज्ञात युवक का शव रक्त रंजित दसा में झाडियो से बरामद हुआ था। इस सम्बन्ध में मृतक की गुमशुदगी उसकी पत्नी प्रीति निवासी स्टेशन रोड उरई द्वारा दिनांक 04.09.2024 को कोतवाली उरई मे दर्ज करायी थी एवं दिनांक 04.10.2024 को ग्राम प्रधान एदलपुर की सूचना के आधार पर ही थाना जालौन पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 07.09.2024 को अज्ञात शव की शिनाख्त आशीष पंडित पुत्र सन्तोष कुमार नि0 खनुंआ थाना जालौन जनपद जालौन के रूप मे हुई थी। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था इसी क्रम में मुखविर की सूचना के आधार पर अभियुक्त कृष्णपाल सिंह उर्फ छोटे साहब गुर्जर पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम शेखपुर खुर्द थाना जालौन जनपद जालौन उम्र करीब 40 वर्ष को मय मृतक की मोटर साइकिल नं0 BR 01 BT 0298 के सहाव मोड के पास गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त उपरोक्त इस अभियोग के अतिरिक्त मु0अ0सं0 1707/2013 (ST N0. 42A/14) धारा 302/201/376 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन जो कि माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीष एफ0टी0सी0 कोर्ट उरई जनपद जालौन मे ट्रायल चल रहा है ट्रायल के दौरान अभियुक्त करीब 02 वर्ष से फरार चल रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता** –

कृष्णपाल सिंह उर्फ छोटे साहब गुर्जर पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम शेखपुर खुर्द थाना जालौन जनपद जालौन उम्र करीब 40 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त**–

1.मु0अ0सं0 1707/13 (ST N0. 42A/14) धारा 302/201/376 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन (माननीय न्यायालय से ट्रायल के दौरान फरार चल रहा है) ।

2. मु0अ0सं0 275/24 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 थाना जालौन जनपद जालौन।

**बरामदगी का विवरण-**

1. मृतक आशीष कुमार पुत्र संतोष कुमार नि0 ग्राम खनुंआ थाना जालौन जनपद जालौन की मो0सा0 पैसन प्रो।

**<u>पूछताछ का विवरण –</u>**

अभियुक्त कृष्णपाल सिंह उपरोक्त ने पूछताछ में बताया है कि साहब मैं करीब डेढ़ महीने पहले सिहारी दाऊदपुर में ठेका के पास आशीष पंडित जो खनुआ जालौन का रहने वाला है से मिला था जो उरई में रहता है मैं उसे पहले से इसलिये जानता हूँ कि उसके भाई की ससुराल सिहारी दाऊदपुर में है। हम दोनों लोगों ने सिहारी दाऊदपुर में 30.08.2024 को शराब पी और हम लोग उसी मोटरसाईकिल से जाने लगे। जब हम लोग सिहारी दाऊदपुर से ऐदरपुर की तरफ जा रहे थे तब हम दोनों लोगों ने नहर पुलिया के पास शराब पिया काफी देर हो जाने के कारण मैने आशीष पंडित ने कहा कि मुझे घर छोड़ दो तभी शराब के नशे में हम दोनों लोगों में झगड़ा होने लगा। तथा बचाव में मैने अशीष के सीने में दांत से काट लिया तब उसने मुझे छोडा तब मैंने गुस्से में आकर उसके में दो लात मारी और वह सड़क पर ही गिर गया, झगड़े में सड़क पर उसके गिरने से सिर में पीछे की ओर चोंट आ गई और वह बेहोश हो गया। मैंने उसे मरा हुआ समझकर उसकी लाश को सड़क किनारे झाडी में छिपा दिया और उसकी मोटरसाईकिल लेकर मैं म0प्र0 भाग गया उसके बाद मैं दिल्ली मजदूरी करने चला गया दिल्ली में करीब 04- 05 दिन पहले मैं मजदूरी करने जा रहा था कि भजनपुरा के पास दिल्ली में एक मोटरसाईकिल वाले ने टक्कर मार दी जिससे मेरे शरीर में व हाथ पैरों तथा आँख मे व माथे पर काफी चोटें आ गई थी। वहाँ कोई इलाज कराने वाला मेरा नहीं था इसलिये मैं चुपचाप कल घर जा रहा था कि घर वालों से पैसा लेकर मैं कहीं बाहर इलाज कराऊंगा कि रात में मैंने मृतक आशीष कुमार की जो मोटरसाईकिल मेरे पास थी उसी को लेकर मैं कल आ रहा था कि आपने चेकिंग के दौरान मुझे पकड़ लिया था। साहब मैंने थाना जालौन के अन्तर्गत वर्ष 2013 में एक लड़की का बलात्कार करके मर्डर कर दिया था उस मुकदमें में मैं फरार चल रहा था। उसकी मोटरसाईकिल इस कारण से लेकर मैं चला आया था कि मोटरसाईकिल को बेंचकर हर पुराना मुकदमा लडेगें।